न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी नेहा छीपा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–23/2024
अन्तर्गत धारा :– 212 आर.टी.एक्ट

उनवान

1. सत्यनारायण पुत्र श्री बंशी लाल छीपा नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

––प्रार्थी

बनाम

1. रणछोड लाल पुत्र श्री हाबू लाल छीपा नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)
3. उपपंजीयन पंजीयन कार्यालय हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

––विपक्षीगण

निर्णय दिनांक 20.05.2025

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त अनवान का वादपत्र प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध आप न्यायालय के समक्ष पेश किया है। प्रस्तुत वादपत्र काफी ठोस एवं मजबूत आधारो पर आधारित होने से अवश्य ही प्रार्थी के पक्ष में डिक्री होगा। सरहद हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ–प्रथम भू0अ0नि0 क्षैत्र हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.) के खाता संख्या 1663 में गे आराजी नम्बर 3453 रकबा 0.1138 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3454 रकबा 0. 0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3455 रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3456 रकबा 0.2276 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3457 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3458 रकबा 0.4932 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3459 रकबा 0. 0379 हैक्टयर कुल कित्ता 07 रकबा 1.0875 हैक्टयर भूमि स्थित है।उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी एव विपक्षी संख्या 01 एक एवं रामकुंवरी पत्नी श्री हाबू लाल के नाम पर दर्ज है. रामकुंवरी का देहान्त हो चुका है. जिसके वारीस विपक्षी संख्या 01 ही है।. यह कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 02 दो मे वर्णित आराजियात मे प्रार्थी का 1/2 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 01 एक का 1/2 हक हिस्सा निहित है। उक्त सम्पूर्ण आराजियात के शामलाती तोर पर पत्थर का कोट भी करवा रखा है। यह है कि विवादित आराजीयात पर प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 एक संयुक्त रूप से काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा उक्त वर्णित आराजीयात का अभी तक विभाजन नही हुआ है । यह है कि विवादित आराजीयात संयुक्त शामलाती होने रो पक्षकारों के मध्य आये दिन लगान आदि जमा कराने व मेड पाली की घारा काटने के बारे मे विवाद होता रहता है तथा प्रार्थी ने कई बार विपक्षी संख्या 01 एक को उक्त आराजियात का विभाजन कराने हेतु कह। लेकिन विपक्षी संख्या 01 एक हर बार टालमटोल करता रहा। यह है कि वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजियांत संयुक्त शामलाती अविभाजित आराजियात है, जिसमे प्रत्येक इंच जमीन पर प्रत्येक सहखातेदार का हक हिस्सा निहित है। लेकिन विपक्षी संख्या 01 एक की नियत मे फितुर पैदा हो गया है तथा विपक्षी संख्या 01 उक्त आराजीयात का बिना विभाजन कराये, प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि को हडपने की नियत से आये दिन अजनबी लोगो को लाकर भूमि वैचने की बाते करते है व जबरन बिना विभाजन कराये प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि पर भी जबरन अवैध निर्माणकरा सम्पूर्ण भूमि पर अपना कब्जा करना चाहता है, इस पर प्रार्थी ने विपक्षीगण को कहा कि उक्त आराजीयात संयुक्त शामलाती है. जिसका बिना विभाजन कराये, उक्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण नही करे लेकिन विपक्षी संख्या 01 एक ने प्रार्थी को धमकी दी कि विपक्षीगण प्रार्थी को विवादित आराजीयात से बेदखल कर देगे व आराजियात को खुर्द बुर्द करके रहेगे। जबकि विपक्षी संख्या 01 एक को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। यह है कि उक्त आराजीयात का अभी बटवाडा नहीं हुआ है व शामलाती रूप से काबिज है तथा यदि विपक्षी संख्या 01 एक बिना विभाजन करांये उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द कर देगे व अवैध निर्माण कर लेगे तो प्रार्थी एव विपक्षी संख्या 01 एक एवं केताओ जो कि अजनबी व्यक्ति होगे के मध्य कब्जे बाबत अनेका अनेक विवाद बढ़ जायेगा। इस कारण प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 01 एक को उक्त आराजीयात का विभाजन कराने हेतु दिनांक 05 पांव फरवरी 2024 दो हजार चौबीस को कहा लेकिन विपक्षी संख्या 01 एक तैयार नही हुए व विपक्षी संख्या 01 एक ने प्रार्थी को धमकी दी कि उक्त विवादित आराजीयात का बिना विभाजन कराये उक्त आराजीयात को विक्रय, हस्तांतरण / खुर्द बुर्द करके ही रहेगे व जबरन रोड की तरफ की भूमि पर बिना विभाजन कराये व बिना कृषि भूमि का सपरिवर्तन कराये, अवैध तरीके से अवैध निर्माण करने पर आमादा है। जिन्हे रोका जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। इस कारण से यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। यह है कि यदि विपक्षी

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

संख्या 01 एक बिना विभाजन कराये विवादग्रस्त आराजीयात से प्रार्थी को बेदखल कर देगे या प्रार्थी के हक हिस्से को भी किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण / खुर्द बुर्द कर देगे या अवैध निर्माण कर लेगे तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है कि विपक्षी संख्या 01 एक प्रार्थी को विवादग्रस्त आराजीयात सरहद हमीरगढ़ पटवार हल्का हमीरगढ़–प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) के खातासंख्या 1663 से आराजी नम्बर 3453 रकबा 0.1138 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3454 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3455 रकबा 0.0632 हेक्टयर, आराजी नम्बर 3456 रकबा 0.2276 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3457 रकबा 0. 0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3458 रकबा 0.4932 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3459 रकबा 0.0379 हैक्टयर कुल किता 07 रकबा 1.0875 हैक्टयर से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे व नही किसी अन्य से करावे व न ही वादग्रस्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विकय, हस्तांतरण / खुर्द बुर्द करे तथा प्रार्थी को अपने हक हिस्से का शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे तथा किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे व नही किसी अन्य से करावें व न ही किसी प्रकार का अवैध निर्माण आदि करे व भूमि के वर्तमान स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे व मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखे। यह है कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 02 दो में वर्णित सरहद हमीरगढ़ पटवार हल्का हमीरगढ़– प्रथग भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज०) के खाता संख्या 663 में अराजी नम्बर 3453 रकबा 0. 1138 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3454 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3455 रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3456 रकबा 0.2276 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3457 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3458 रकबा 0. 4932 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3459 रकबा 0.0379 हैक्टयर कुल किता 07 रकबा 1.0875 हैक्टयर भूमि का रास्ते को मध्य नजर रखते हुए मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स के आधार पर विभाजन कराया जाकर वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे प्रार्थी का 1/2 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 01 एक का 1/2 हक हिस्सा की भूमि को अलग खाता कायम कर राजस्व रेकार्ड में अंकन कराया जाना व राजस्व नक्शे मे तरमीम करायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।. यह है कि प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया मामल है और सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है और यदि ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही फरमायी गयी और विपक्षी संख्या 01 एक प्रार्थी को बिना बटवाडा हुए आराजी से बेदखल कर देगे व भूमि पर किसी प्रकार का अवैध निर्माणकर पक्का स्थायी निर्माण कर देगे व आराजी को अन्य को रहन, विकय, हस्तांतरण/ खुर्द बुर्द कर देगे तो प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या ०६ र केत्ताओं के मध्य अनेका अनेक विवाद बढ़ जायेगे व प्राथर्थी को अपूरणीय क्षति होगी. जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना करई सभव नहीं होगा। यह है कि प्रार्थनापत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथपत्र पेश है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्राथर्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरगायी जाये कि विपक्षी संख्या 01 प्राथी को प्रार्थनापत्र को चरण सख्या 02 में वर्णित सरहद हमीरगढ़ पटवार हल्का हमीरगढ़–प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) के खाता संख्या 1883 मे आराजी नम्बर 3453 रकबा 0.1138 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3454 रकथा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3455 रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3456 रकबा 0.2276 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3457 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3458 रकबा 0.4932 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3459 रकबा 0.0379 हैक्टयर कुल किता 07 रकबा 1.0875 हैक्टयर भूमि से जबरन शक्ति के बल पर वेदखल नहीं करे द प्रार्थी को शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे तथा विपक्षी संख्या 01 वादग्रस्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण / खुर्द बुर्द नही करे व मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व विपक्षी संख्या ० द्वारा वादग्रस्त आराजी के रहन विक्रय / हस्तांतरण संबंधी दस्तावेज विपक्षी संख्या 03 के यहां पेश करे तो विपक्षी संख्या 03 उसका पंजीयन नहीं करे व विपक्षी संख्या 02 राजस्व रेकार्ड मे कोई परिवर्तन नही करे तथा प्रार्थी को शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे व किसी प्रकार का अवैध निर्माण आदि नहीं करे व न ही स्थायी पक्का निर्माण करे च वादग्रस्त भूमि के वर्तमान स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे।

प्रकरण में अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपना जवाब पेश किया गया। साथ ही तहसीलदार हमीरगढ से मोके व रेकार्ड की रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार हमीरगढ से उक्त आराजियात के संबंध में मौका रिपोर्ट तलब की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 08.05.2025 अनुसार मौके पर चारो ओर पत्थर का कोट हो रखा है व सभी आराजियात खाली होकर पडत पडी हुई है।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत निवेदन किया। इसी प्रकार विपक्षीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस में प्रार्थनापत्र के जबाव के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट का खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

मैनें पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस व तहसीलदार हमीरगढ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर मनन किया। चूंकि आराजी शामलाती खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। वर्तमान में उक्त आराजियात के चारो तरफ पत्थर का कोट हो रखा है व सभी आराजीयात खाली होकर पडत पडी हुई है। प्रार्थी द्वारा ऐसी कल्पना की हैं कि उक्त आराजीयात में निर्माण करवा देंगे जिससे अपूरणीय क्षति होगी। अतः केवल मात्र कल्पना के आधार पर अपूरणीय क्षति का आंकलन नहीं किया जा सकता है। अतः प्रा0पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएवं

—::आदेश::—

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु साबित नहीं होने से खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश दिनांक 20.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा(राज.)